रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला बुधवार, 17 जनवरी, 1979/27 पौष, 1900

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 दिसम्बर, 1978

संख्या 3-17/73-इलैक.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/हि० प्र०/11/72-11, दिनांक 29 अक्तूबर, 1978, जिसमें 1972 की निर्वाचन याचिका संख्या 11 में दिये गये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 20 नवम्बर, 1973 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध 1974 की सिविल अपील

संख्या 609 (एन0सी0ई0) में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्तर्विष्ट है, जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है ।

आदेश से,
हरी शंकर दुबे,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 1978
8 अग्रहायण, 1900 (शक्)

संख्य 82/हि0प्र0/11/72-11.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 116ग की उप-धारा (2) के खण्ड ख के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, 1972 की निर्वाचन अर्जी संख्या 11 में दिये गए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 20 नवम्बर, 1973 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध 1974 की सिविल अपील संख्या 609 (एन0सी0ई0) में भारत के उच्चतम न्यायालय का दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 का निर्णय प्रकाशित करता है ।

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION
CIVIL APPEAL NO. 609 (E) OF 1974

Daulat Ram Sankhyan ..Appellant.

Vs.

Kuldip Singh ..Respondent.

ORDER

The appeal is dismissed as withdrawn with no order as to costs as agreed by the Learned Counsel.

Sd- J.
P. N. SHINGHAL,

October 17, 1978.

Sd/- J.
D. CHINNAPPA REDDY,

By order,
T. NAGARATHNAM,
Secretary, Election Commission of India.

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

आदेश

शिमला-2, 12 दिसम्बर, 1978

संख्या एफ0 डी0 एस0 डी0-(6) (6) 1/78.—आदेश संख्या सा0 का0 नि0 500 (अ)/आ0 व0/चीनी, दिनांक 17 अक्तूबर, 1978 जोकि भारत सरकार में राजपत्र असाधारण भाग-II-खण्ड 3-उप-खण्ड (आई) में प्रकाशित किया है कि सामान्य जनता की सूचना हेतू दोबारा हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

अतर सिंह,
सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय
(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1978

सा0 का0 नि0 500 (अ)/आ0व0/चीनी.—केन्द्रीय सरकार चीनी (नियन्त्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि जो चीनी भारतीय मानक चीनी (आई0एस0एस0) के अनुरूप है, वह उत्पादक द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त चीनी व्यवहारियों के अनुज्ञापन सम्बन्धित आदेश के अधीन चीनी में व्योहार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त चीनी व्यवहारी को या भूटान सरकार के किसी नाम निर्देशिती को ही विक्रय की जाएगी और उत्पादक द्वारा जारी किए गए विक्रय इनवायस में प्रेषिती का पूरा नाम और पता तथा उसकी अनुज्ञप्ति संख्या उप-दर्शित की जाएगी।

परन्तु उत्पादक अपने स्वामित्वाधीन किसी कारखाने में चीनी उत्पानों, खाद्यउत्पानों जिनमें चीनी का प्रयोग किया जाता है और मृदु पेयों के उत्पादन के लिए वह जितनी आवश्यक समझे उतनी मात्रा का प्रयोग कर सकता है।

[सं0 1-12/77-चीनी नीति]
सी0 एन0 राघवन,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1978

G. S. R. 500(E)./Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the sugar which shall conform to I. S. S. specification shall be sold, despatched or delivered by a producer only to a sugar dealer licensed to deal in sugar under the Order relating to the licensing of Sugar dealers for the time being in force in a State or Union territory or to a nominee of the Government of Bhutan and the sale invoice issued by the producer shall indicate the name and full address of the consignee and his licence number:

Provided that the producer may utilise such quantity as he may consider necessary for the production of sugar products, food products in which sugar is used and soft drinks in a factory owned by him.

[No. 1-12/77-SPY]
C. N. RAGHAVAN,
Joint Secretary

निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।